अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2021(GCMS 2021/133)(आरटीआई नं. 212735305707250) श्री धर्मेन्द्र खीचड़, गांव कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335064 (मोबाईल नं. 94608–60086) <u>बनाम</u> अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

<u>22.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी धर्मेन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी धर्मेन्द्र खीचड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2021 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रार्थी द्वारा शस्त्र लाईसेंस बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 11.11.2019 व 19.01.2021 को दिए गऐ प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. प्रार्थी द्वारा दिए गये उक्त समस्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली की समस्त फर्द अहकाम, नोटशीट, निर्णय, अन्य समस्त विभागों द्वारा आज तक [illegible] समस्त कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतिलिपि, पुलिस विभाग द्वारा की गयी समस्त जांच, निर्णय, रिपोर्ट/दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. उक्त समस्त पत्रावली का निरीक्षण करवाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ–17(1)()न्याय/2021/7286 दिनांक 29.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में अपीलार्थी को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 6821 दिनांक 07.09.2021 द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय में कार्य दिवस मे नियमानुसार निरीक्षण हेतु लिखा गया था, परन्तु अपीलार्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। नियमानुसार बाद निरीक्षण अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।
>
> -sd-
> (डॉ. हरीतिमा)
> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 6821 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा सूचित किया जा चुका है, जो सही हैं। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी स्वयं से सम्बन्धित है इसलिए सूचना का अधिकार 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है **कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली का अपलार्थी को अवलोकन करवा दें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे द्वारा वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति अति. [illegible] श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश [illegible] प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 22.03.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर